



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 10]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 7, 1994/पौष 17, 1915

No. 10]

NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 7, 1994/PAUSA 17, 1915

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय

(पत्तन पक्ष)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 जनवरी, 1994

सर. का. नि. 10 (अ).—केन्द्र सरकार, महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 132 की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 124 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यासी मण्डल द्वारा बनाए गए और इस अधिसूचना के साथ संलग्न अनुसूची में चिकित्सा परिचर्या तथा उपचार/विनियमावली 1993 का अनुमोदन करती है।

2. उक्त विनियम इस अधिसूचना के सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

[फा. सं. पी.आर.-12012/25/92-पी.ई. 1]

श्रीशोक जोशी, संयुक्त सचिव

अनुसूची

जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास

जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास कर्मचारी

(चिकित्सा परिचर्या तथा उपचार) विनियमावली, 1993

प्रमुख पत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा-28 के द्वारा प्रदत्त कान्यासी मंडल निम्नलिखित विनियमावली बनाता है:-

49 GI/94

1. संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ :—

- (1) इस विनियमावली का संक्षिप्त नाम जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास कर्मचारी (चिकित्सा परिचर्या तथा उपचार) विनियमावली, 1993 है।
- (2) यह विनियमावली राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से प्रभावी मानी जाएगी।

2. प्रासंगिकता का विस्तार :—

- (1) इस विनियमावली के विनियम 12 को छोड़कर अन्य सभी विनियम मंडल के कर्मचारियों तथा उनके परिवारों के ऊपर लागू होंगे। परिवार की परिभाषा विनियम 3 के खण्ड (4) में वर्णित है। यह विनियमावली कार्यालय के काम से आने वाले अन्य प्रमुख पत्तनों के कर्मचारियों के ऊपर भी इसी प्रकार लागू होगी। अन्य निकायों से विदेश सेवा की शर्तों पर आए कर्मचारी, पुनः नियुक्त हुए पेंशन भोगी कर्मचारी, पूर्णकालीन रूप से संविदाई आधार पर रखे कर्मचारी, परिवीक्षाधीन कर्मचारी और प्रशिक्षक भी इस विनियमावली के अंतर्गत कर्मचारी माने जायेंगे। उपर्युक्त कर्मचारी चाहे नौकरी पर तैनात हों या छुट्टी (सेवा निवृत्ति पूर्व की छुट्टी भी) पर या दूसरी निकायों में विदेश सेवा की शर्तों पर गए हों अथवा निलम्बन काल में वे इस विनियमावली के अंतर्गत माने जायेंगे।
- (2) विनियम 12 में विहित विनियमों का लाभ सेवा निवृत्त कर्मचारी ही उठा सकेंगे।

(1)

- (3) इस विनियमावली के विनियम उन कर्मचारियों तथा व्यक्तियों पर भी लागू होंगे जिनके लिए मंडल संकल्प धारित करने के बाद निदेश देगा।

### 3. परिभाषाएँ :—

इस विनियमावली में जब तक संदर्भ से अन्यथा प्रोक्षित न हो :—

- (1) मंडल अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और विभागाध्यक्षों के अर्थ वे ही रहेंगे जो प्रमुख पत्तन न्यास अधिनियम, 1963 में बताए गए हैं।
- (2) "लेखा अधिकारी" शब्द का अर्थ वित्त विभाग में तैनात उस पदधारी से है जो चिकित्सा खर्चों की अदायगी के लिए प्रभारी अधिकारी है।
- (3) "प्राधिकृत चिकित्सा परिचारक" से अर्थ किसी भी पद पर नियुक्त उस चिकित्सा अधिकारी से है जो पूर्ण अथवा आंशिक रूप से मंडल की सेवा में है या जिसे बोर्ड ने अपने कर्मचारियों तथा उनके परिवारों की परिचर्या तथा उपचार के लिए संबिदाई आधार पर नियुक्त किया है। इसमें चिकित्सा क्षेत्र का वह विशेषज्ञ भी शामिल है जो यद्यपि बोर्ड की सेवा में तो नहीं है किंतु जिसके पास मंडल की सेवा में तैनात या नियुक्त किए गए चिकित्सा अधिकारी द्वारा कोई रोगी चिकित्सा परिचर्या तथा उपचार के लिए भेजा जाता है।
- (4) "परिवार" से कर्मचारी की पत्नी/पति, माता पिता, अविवाहीत बहनें, विधवा बहनें, विधवा पुत्रियां, अग्र्यस्क भाई तथा सगे दत्तक एवं सौतेले बच्चे जो सामान्यतया कर्मचारी के साथ निवास करते हैं तथा उस पर पूरी तरह निर्भर हैं।

अगर किसी कर्मचारी के परिवार का कोई अन्य सदस्य शारीरिक या मानसिक रूप से अपंग है और कर्मचारी पर पूर्णतः आश्रित है तो अध्यक्ष अगर चाहे तो उसके उत्कर्ष का विचार करके उसे इस विनियमावली के अंतर्गत कर्मचारी के परिवार में शामिल करने की आज्ञा दे सकते हैं।

टिप्पणी 1 : परिवार के किसी सदस्य को कर्मचारी पर तभी निर्भर माना जाएगा जबकि सभी स्त्रियों से उसकी आय कुल मिलाकर रुपये 1000/ से अधिक नहीं है। निर्भरता की यह शर्त पत्नी/पति पर लागू नहीं है अगर कर्मचारी के माता पिता, पत्नी तथा बच्चे अल्प काल के लिए कर्मचारी के साथ कार्य स्थल पर नहीं रहते हैं तो उनको कर्मचारी के साथ निवास करने की शर्त में छूट है। आश्रित माता-पिता को कर्मचारी अथवा उसके परिवार के साथ रहना चाहिए।

टिप्पणी 2 : प्रत्येक महिला कर्मचारी को विवाह के बाद यह घोषणा करनी होगी कि वह अपने माता-पिता अथवा सास-ससुर में से किसे अपने "परिवार" में शामिल करना चाहती है।

टिप्पणी 3 : अगर किसी कर्मचारी का पति/पत्नी ऐसे किसी संगठन में कार्यरत है जो अपने कर्मचारियों तथा उनके बच्चों को चिकित्सा सुविधा देता है तो कर्मचारी और उसके पति/पत्नी की संयुक्त रूप से यह घोषणा करनी होगी कि वे इस विनियमावली में इंगित चिकित्सा सुविधाएं ग्रहण करना चाहते हैं अथवा उस संगठन में जहां कि कर्मचारी का पति/पत्नी कार्यरत है। यह स्थिति में जब कि कर्मचारी की पत्नी/पति इस विनियमावली के अंतर्गत दी गई चिकित्सा सुविधाएं ग्रहण करना चाहता है तो

कर्मचारी को यह भी घोषणा करनी होगी कि उसकी पत्नी/पति अपने संगठन के अपने तथा अपने परिवार के लिए चिकित्सा सुविधाएं ग्रहण नहीं करेगा।

टिप्पणी 4 : अगर पति-पत्नी दोनों ही मंडल कर्मचारी हैं तो उनमें से एक को जो उच्च पद पर है उसके पद के अनुसार इस विनियमावली के अंतर्गत संयुक्त घोषणा के आधार पर चिकित्सा सुविधाएं दी जाएंगी।

- (5) "अस्पताल" में मंडल का अस्पताल या औषधानय या केन्द्रीय सेवा (चिकित्सा परिचर्या) विनियमावली में परिभाषित सरकारी अस्पताल शामिल हैं।

जिसमें कर्मचारी इस विनियमावली के प्रावधानों के अंतर्गत उपचार करा सकता है।

- (6) "चिकित्सा परिचर्या" से तात्पर्य प्राधिकृत चिकित्सा परिचारक द्वारा दी गई उस परिचर्या से है जो उसके परामर्श कक्ष, अस्पताल अथवा कर्मचारी के घर में दी गई है और उसमें परामर्श कक्ष, अस्पताल अथवा घर में इलाज के लिए उपलब्ध रोगात्मक, सूक्ष्म जैविकीय विम्बात्मक हृदय रोगात्मक परीक्षा या अन्य आवश्यक परीक्षा विधियां शामिल हैं। इसमें चिकित्सा द्वारा दिया गया परामर्श इस मात्रा तथा उस रूप में शामिल है जितना प्राधिकृत चिकित्सा परिचारक चिकित्सा विशेषज्ञ के साथ सलाने बार आवश्यक समझता है।

- (7) "डाक्टरों चिकित्सा" से तात्पर्य उस अस्पताल में चिकित्सा, शल्य-चिकित्सा, प्रसूति और स्त्रीरोग निदान सम्बंधी उपलब्ध सुविधाओं के उपयोग से है जहां रोगी का उपचार होता है तथा निम्नलिखित सुविधाएं भी शामिल हैं :—

(क) प्राधिकृत चिकित्सा अथवा उन चिकित्सा विशेषज्ञ जिसके पास प्राधिकृत चिकित्सा परिचारक द्वारा रोगी इलाज के लिए भेजा जाता है, द्वारा आवश्यक समझी गई रोगात्मक, सूक्ष्मजैविकीय, विम्बात्मक, हृदयरोगात्मक विधियों तथा इलाज के लिए अपनाई जाने वाली अन्य विधियों का उपयोग।

(ख) अस्पताल में साधारणतः उपलब्ध दवाइयों के टीके, सोरा अथवा अन्य आरोग्यकर औषधियों की आपूर्ति।

(ग) ऐसी दवाएं, टीके, सोरा अथवा अन्य आरोग्यकर औषधियों की आपूर्ति जो सामान्य रूप से अस्पताल में उपलब्ध नहीं होती है परंतु उनके लिए प्राधिकृत चिकित्सा परिचारक अथवा चिकित्सा विशेषज्ञ लिखित रूप से प्रमाणित करे कि ये रोगी के इलाज के लिए आवश्यक हैं।

(घ) अस्पताल के नियमों के अनुसार रहने का ऐसी सुविधा जो सामान्य रूप से अस्पताल में कर्मचारियों की स्थिति के अनुसार दी जाती है।

(च) ऐसी उरचर्या जो सामान्य रूप से अस्पताल में रोगियों को दी जाती है।

(छ) चिकित्सा विशेषज्ञ के साथ परामर्श तथा

(ज) महिला कर्मचारी अथवा कर्मचारी के परिवार का महिला सदस्य का प्रसव का सुविधा

- (8) "रोगी" से तात्पर्य है इस विनियमावली के अंतर्गत बताए अनुसार कर्मचारी या उसके परिवार का सदस्य।

4. जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास के अस्पताल में चिकित्सा परिचर्या और उपचार की सुविधाएँ :-

रोगी प्राधिकृत चिकित्सा परिचारक से ही चिकित्सा परिचर्या तथा उपचार निशुद्ध करा सकेगा।

टिप्पणी : अगर प्राधिकृत चिकित्सा परिचारक द्वारा निर्देशित कोई दवाई, टीका, सीरा, सुईयां तथा अन्य आरोग्यप्रद दवाइयां अस्पताल/औषधालय के स्टॉक में उपलब्ध नहीं है तो कर्मचारी उन्हें अपने पैसे से खरीद सकता है तथा उन दवाइयों की कीमत लेखा अधिकारी उसको वापिस करेगा बशर्ते कि अस्पताल के अध्यक्ष ने यह प्रमाण पत्र दिया हो कि वह ओषधि, टीका इत्यादि अस्पताल के स्टॉक में उपलब्ध नहीं है। प्राधिकृत चिकित्सा परिचारक ऐसा कोई खाद्य लेने का निर्देश नहीं होगा जो दवा न हो बल्कि प्राथमिक खाद्य, टॉनिक प्रसाधन या विसंक्रामक ही।

5. अन्य अस्पतालों में चिकित्सा परिचर्या और उपचार की सुविधाएँ :

- (1) अगर प्राधिकृत चिकित्सा परिचारक यह मानते हैं कि किसी रोगी की बीमारी इतनी गम्भीर अथवा विशिष्ट प्रकृति की है कि उसे उसके अथवा मंडल के अस्पताल के अलावा किसी अन्य विशेषज्ञ के द्वारा अथवा किसी अन्य अस्पताल में परिचर्या और उपचार की आवश्यकता है तो वह उसे किसी भी विशेषज्ञ अथवा अस्पताल में भेज सकता है या अगर कोई रोगी इतना बीमार है कि चल नहीं सकता तो वह उसके लिए विशेषज्ञ अथवा अस्पताल द्वारा उसके घर में ही रोगी की चिकित्सा परीक्षा की व्यवस्था कर सकते हैं। फीस, यात्रा व्यय सहित रोगी की चिकित्सा परिचर्या और उपचार का वास्तविक खर्च मंडल वहन करेगा। प्राधिकृत चिकित्सा परिचारक रोगी को उसी विशेषज्ञ के पास अथवा अस्पताल में इलाज के लिए भेजेगा जिसे केन्द्रीय सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियमावली में "सरकारी अस्पताल" के रूप में मान्यता दी गई है।
- (2) अगर किसी कर्मचारी या उसके परिवार के किसी कोई सदस्य की परिचर्या और/या उपचार की सुविधा मंडल के अस्पताल औषधालय में उपलब्ध नहीं है तो वह प्राधिकृत चिकित्सा परिचारक की सहमति से केन्द्रीय सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियमावली में परिभाषित "सरकारी अस्पताल" से आवश्यक परिचर्या तथा उपचार करा सकता है।
- (3) कोई कर्मचारी छुट्टी, प्रशिक्षण अथवा दौरे पर है तथा बीमार है तो वह अपनी और अपने परिवार की चिकित्सा परिचर्या तथा उपचार केन्द्रीय सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियमावली में परिभाषित किसी सरकारी अस्पताल में करा सकता है।
- (4) वह कर्मचारी जिसे ज.ने.प. न्यास नगर में आवास नहीं दिया गया है या जिसे ज.ने.प. न्यास नगर का आवास छोड़ने की अनुमति दी गई है अथवा तथा अपने परिवार ज.ने.प. न्यास के अस्पताल में या केन्द्रीय सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियमावली में परिभाषित अनुसार "सरकारी अस्पताल" में चिकित्सा परिचर्या और उपचार करा सकता है।
- (5) किसी भी कर्मचारी को ज.ने.प. न्यास के अस्पताल या केन्द्रीय सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियमावली में परिभाषित "सरकारी अस्पताल" में जाने के लिए यात्रा भत्ता नहीं दिया जाएगा। दौरे पर दिया जाने वाला यात्रा भत्ता (पडाव के दैनिक भत्ते को छोड़कर) कर्मचारी को तभी दिया जाएगा जबकि प्राधिकृत चिकित्सा परिचारक यह आवश्यक समझेंगे कि रोगी की बम्बई/नई बम्बई के बाहर किसी विशेषज्ञ या अस्पताल में इलाज के लिए भेजना आवश्यक है। यात्रा भत्ता (दैनिक

भत्ते के अलावा) रोगी को तथा अगर ज.ने.प. न्यास के अस्पताल के अध्यक्ष आवश्यक समझें तो उनके साथ यात्रा करने वाले रक्षक को भी दिया जाएगा।

(6), उपनियम (2), (3) तथा (4) के अंतर्गत रोगी की चिकित्सा परिचर्या तथा उपचार में जो भी होगी वह बोर्ड अस्पताल के अध्यक्ष की संस्तुति पर लेखा अधिकारी द्वारा कर्मचारी को तभी तक मंजूर किया जाएगा जैसा कि केन्द्रीय सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियमावली के अनुसार दे है।

6. आयात स्थिति में निजी अस्पतालों में चिकित्सा परिचर्या तथा उपचार की सुविधाएँ :

- (1) इन विनियमों में अन्य प्रावधानों के होने पर भी जहाँ अध्यक्ष संतुष्ट होंगे कि कोई कर्मचारी अथवा उसके परिवार को कोई सदस्य आयात स्थिति में प्राधिकृत चिकित्सा परिचारक या केन्द्रीय सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियमावली में परिभाषित, सरकारी अस्पताल में चिकित्सा परिचर्या तथा उपचार नहीं करा सका तथा उसे निजी चिकित्सालय में प्राधिकृत चिकित्सा परिचारक के पूर्व अनुमोदन के बिना भर्ती होना पड़ा तो वहाँ अध्यक्ष निजी चिकित्सालय में इलाज कराने पर कर्मचारी को उस सीमा तक खर्च का प्रतिपूर्ति अनुमोदित कर सकेंगे जितना कि मंडल के अस्पताल में या केन्द्रीय सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियमावली में परिभाषित "सरकारी अस्पताल" में उपचार होने पर व्यय होता।
- (2) उप-विनियम (1) में संकेतित मामलों में चिकित्सा खर्च की प्रतिपूर्ति के बीजक मंडल के अस्पताल में प्रस्तुत किए जाएंगे तथा मंडल के अस्पताल के अध्यक्ष द्वारा मंजूर की गई धनराशि का भुगतान लेखा अधिकारी द्वारा किया जाएगा।

टिप्पणी : अनुबंध में आयात स्थितियों की सूची संलग्न है।

7. विदेश सेवा की शर्तों पर स्थानांतरण :-

जब कोई कर्मचारी विदेश सेवा की शर्तों पर स्थानांतरित होता है तो उसे कम से कम इतनी चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध होंगी जितनी इन विनियमावली के अंतर्गत दी जानी चाहिए।

8. विशेष स्थितियों में विदेश में उपचार :-

- (1) कोई भी कर्मचारी ज.ने.प. न्यास के अस्पताल अध्यक्ष के द्वारा यह प्रमाण पत्र देने पर कि अग्रिम परामर्श तथा उपचार भारत में उपलब्ध नहीं है अथवा कर्मचारी उस समय प्राधिकृत छुट्टी दौरे या प्रशिक्षण पर विदेश गया था। विदेश में अपनी अथवा पत्नी/पति या परिवार के अन्य सदस्य की परिचर्या तथा उपचार करा सकेगा तथा उसे चिकित्सा व्यय (यात्रा खर्चसहित) की प्रतिपूर्ति की जाएगी।
- (2) अगर प्राधिकृत चिकित्सा परिचारक इस बात से संतुष्ट है कि विदेश में उपचार कराने वाले रोगी के साथ किसी परिचारक को भेजना आवश्यक है तो उस परिवार के ऊपर होने वाले यात्रा व्यय की भी प्रतिपूर्ति की जाएगी।
- (3) जब कोई कर्मचारी किसी बीमारी के उपचार के लिए अपने आप विदेश जाता है जब कि उस रोग की उपचार सुविधा भारत में भी उपलब्ध है तो उसके इलाज पर होने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति नहीं की जाएगी। अध्यक्ष अगर चाहें तो कर्मचारी की कठिनाई का विचार करके विदेश में इलाज पर किए गये कुल व्यय में से उतनी धनराशि मंजूर कर सकते हैं जितनी उस प्रकार का उपचार प्राधिकृत चिकित्सा परिचारक या केन्द्रीय सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियमावली में परिभाषित सरकारी अस्पताल में कराने पर व्यय होती है। ऐसे मामलों में यात्रा व्यय देय नहीं है।

## 9. अग्रिम की मंजूरी :—

- (1) जब प्राधिकृत चिकित्सा परिचारक द्वारा किसी रोगी को किसी विशेषज्ञ या ज.ने.प. न्यास अस्पताल के अलावा किसी अग्र्य अस्पताल में इलाज के लिए भेजा जाता है जहां कि चिकित्सा परिचर्या तथा उपचार कराने के लिए एक बड़ी धनराशि का भुगतान करना है तो उसे वह व्यय भार उठाने के लिए अग्रिम की मंजूरी ज.ने.प. न्यास अस्पताल के अध्यक्ष की अनुमोदन पत्र लेखा अधिकारी द्वारा की जाएगी। अस्थायी कर्मचारियों को स्थाई कर्मचारियों द्वारा जमानत देने पर अग्रिम की मंजूरी की जाएगी।

टिप्पणी :—इस विनियम के अन्तर्गत एक ही बीमारी के लिए एक से अधिक बार अग्रिम देय है।

- (2) चिकित्सा परिचर्या तथा उपचार के लिए दिए जाने वाले अग्रिम की धनराशि प्राधिकृत चिकित्सा परिचारक द्वारा निश्चित तथा प्रमाणित धनराशि के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। अगर चिकित्सा परिचर्या तथा उपचार के लिए निश्चित धनराशि कर्मचारी के मासिक वेतन के 50 प्रतिशत से कम है तो अग्रिम मंजूर नहीं होगा। इस विनियम के अन्तर्गत देय चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति से अग्रिम का समायोजन कर लिया जाएगा तथा अगर अग्रिम की राशि शेष रहेगी तो उसकी कटौती कर्मचारी के वेतन से कर ली जाएगी। कर्मचारी अगर 3 माह के अंतर्गत चिकित्सा प्रतिपूर्ति का दावा प्रस्तुत नहीं करता तो अग्रिम की धनराशि एकमुश्त रूप से अथवा किस्तों में कर्मचारी के वेतन से वसूल कर ली जाएगी।

## 10. चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति की विधि :—

कर्मचारी द्वारा अपने/अपनी पत्नी/पति तथा परिवार के अन्य सदस्य पर किए गए चिकित्सा परिचर्या तथा/या उपचार सम्बंधी चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति के सभी प्रकार के दावे विहित प्रपत्र में मंडल के अस्पताल अध्यक्ष के माध्यम से 3 माह के अंतर्गत लेखा अधिकारी को प्रस्तुत करने चाहिए। तीन माह की अवधि को अग्रवादजन्य मामलों में ही मंडल के अस्पताल अध्यक्ष द्वारा शिथिल किया जा सकता है।

## 11. विविध :—

अगर किसी मामले का समाधान इस विनियमवाली से नहीं हो सकता तो उस मामले के समाधान के लिए केन्द्रीय सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियमवाली के प्रावधान आवश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे।

अनुबंध

## आपात रोगों की सूची

- (1) जन्मगत अनामलीज जिनको तुरंत शल्य चिकित्सा की आवश्यकता होती है।
- (2) दुर्घटना/अभिघातक चोटें
- (3) रक्तश्राव/सदमा
- (4) डिफथेरिया/टिटनस/गसगैंगरिन/टाइफाइड/गैसट्रोइन्टेस्टीज/मस्तिष्क ज्वर
- (5) हृदय रोग संकट/अत्यधिक उच्च रक्तचाप
- (6) अत्यधिक एडोमेन
- (7) प्रसूति एवं स्त्रीरोग संबंधित संकट—
- (8) जननेंद्रिय सम्बंधी संकट
- (9) फॉरेन बॉडिज—कान, नाक, गला, आँख/आँख में रेटिना सम्बंधी नियोजन
- (10) मनोविकृति रोग का प्रारंभ
- (11) सम्मूर्च्छा

## MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT

(Ports Wing)

## NOTIFICATION

New Delhi, the 7th January, 1994

G.S.R. 10(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (i) of Section 124, read with sub-section (i) of Section 132 of the Major Ports Act, 1963 (38 of 1963), the Central Government hereby approves the Jawaharlal Nehru Port Trust Employees (Medical Attendance and Treatment) Regulations, 1993 made by the Board of Trustees for the Port of Jawaharlal Nehru and set out in the Schedule annexed to this Notification.

2. The said regulations shall come into force on the date of publication of this Notification in the Official Gazette.

[No. PR-12012/25/92-PE-I]

ASHOKE JOSHI, Jt. Secy.

## SCHEDULE

In exercise of the powers conferred by Section 28 of the Major Port Trusts Act 1963 (38 of 1963) the Board of Trustees of the Jawaharlal Nehru Port hereby makes following regulations namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These Regulations shall be called Jawaharlal Nehru Port Trust Employees (Medical Attendance and Treatment) Regulations, 1993.

(2) They will come into effect from the date of publication in the Official Gazette.

2. Extent of Application.—(1) These regulations except those contained in regulation 12 shall apply to all employees of the Board and their families as defined in Clause (iv) of Regulation 3 and employees of other Major Ports while on official visit. The employees include employees on foreign service from other bodies, re-employed pensioners, person appointed on full time contract, probationers and apprentices, whether on duty or on leave (including leave preparatory to retirement), foreign service to other bodies or under suspension.

(2) Regulations contained in Regulation 12 shall apply to retired employees only.

(3) The regulations may be made applicable to any other class of employees or persons if the Board by Resolution direct that these regulations shall apply to them.

3. Definitions.—In these regulations unless the context otherwise requires :—

- (1) "Board", "Chairman", "Deputy Chairman" and "Heads of Departments" shall have the same meaning as respectively assigned to them in the Major Port Trusts Act, 1963.
- (2) "Accounts Officer" shall mean an Officer having any designation in the Finance Department under the Board in charge of reimbursement of medical expenses.
- (3) "Authorised Medical Attendant" shall mean a Medical Officer by any designation under the whole or part time employment of the Board or appointed by the Board on contract for the purpose of attendance on and treatment of employees and their families and shall include a Medical Specialist not under the employment of the Board or appointed by the Board but to whom a patient is referred for medical attendance and treatment by Medical Officers under the employment of the Board or appointed by the Board.
- (4) "Family" shall mean the spouse and the parents, unmarried sisters, widowed sisters, widowed daughters, minor brothers and children including adopted

and step children of an employee ordinarily residing with and wholly dependent upon the employee. The Chairman may in each case after examination of the merit permit any other member of the employee's family to be treated as a member of family for the purpose of these regulations, if such member is physically or mentally handicapped and wholly dependent on the employee.

Note I.—A member of the family is treated as dependent only if his/her income from all sources does not exceed Rs. 1,000 p.m. The condition of dependence is not applicable to the spouse. The condition of residing with the employee is relaxable in cases of parents, spouse and children if they are not residing with the employee at the duty station for the time being. Dependent parents should live either with the employee or his/her family.

Note II.—Every female employee will declare after the marriage whether she wishes to include parents or parents-in-law in her "family".

Note III.—If an employee's spouse is employed in organisation, which provides medical facilities to its employees and the eligible children of such an employee, the employee and the spouse will give joint declaration choosing either the facilities admissible under these regulations or the medical facilities provided by the organisation in which he/she is employed. In case the spouse wishes to avail himself/herself of the medical facilities provided for in these regulation, the employee should also declare that the spouse will not claim the medical facilities his/her organisation in respect of himself/herself and in respect of his/her family.

Note IV.—If both husband and wife are employees of the Board, one of them on the basis of joint declaration may be allowed medical facilities under these regulations according to the status of the husband or the wife whichever is higher.

- (5) "Hospital" shall mean the hospital or a dispensary of the Board and may include a "Government Hospital", as defined in the Central Services (Medical Attendance) Rules, in which an employee may take treatment under the provisions of these regulations.
- (6) "Medical Attendance" in relation to an Authorised medical attendance shall mean attendance in his consulting room or hospital or at the residence of an employee including such pathological, microbiological imaging, cardiological or other methods of examination for the purpose of diagnosis as are available in the consulting room or hospital and are considered necessary by an authorised Medical Attendant. It also includes such consultation with a medical specialist as an authorised Medical Attendant certifies to be necessary to such extent and in such a manner as the medical specialist may in consultation with an authorised Medical Attendant determines.
- (7) "Medical Treatment" shall mean the use of all medical, surgical, obstetrical and gynaecological facilities available at a Hospital in which a patient is treated and includes:—
  - (a) the employment of such laboratory (pathological microbiological) imaging, cardiological or other methods as are considered necessary by an authorised medical attendant or a medical specialist to whom a patient is referred by an authorised medical attendant for treatment.
  - (b) The supply of such medicines, vaccines, sera of other therapeutic substances as are ordinarily available in a hospital.
  - (c) The supply of such medicines, vaccines, sera or other therapeutic substances as are not ordinarily available in a hospital but an authorised medical attendant or the medical specialist as the case

may be may certify in writing to be essential for treatment of the patient.

- (d) Such accommodation as is ordinarily provided in a hospital and is suited to the employee's status according to the rules of the hospital.
- (e) Such nursing as ordinarily provided to in-patient by a hospital.
- (f) Consultation with a medical specialist and
- (g) Confinement of a female employee or a female member of the family of an employee.
- (8) "Patient" shall mean an employee or a member of his family within the meaning of these Regulations.

4. Facilities of Medical Attendance and Treatment in JNPT Hospital.—A patient shall be entitled free of charge to Medical Attendance and treatment by an Authorised Medical Attendant only.

Note.—If any medicine, vaccine, sera, injectiles or other therapeutical substance prescribed by an Authorised Medical Attendant is not available in the stock of the hospital/dispensary the same may be purchased by the employee at his own cost and he shall subsequently be reimbursed by the Accounts Officer the cost involved, subject to the Head of the JNPT Hospital furnishing a certificate that the particular medicine, vaccine etc., is not available in the stocks of the hospital/dispensary. Authorised Medical Attendant should not prescribe preparations which are not medicines but are primarily foods, tonics, toilet preparations or disinfectants.

5. Facilities of Medical Attendance and Treatment in other Hospitals.—(1) If, in the opinion of an Authorised Medical Attendant the case of any patient is of such serious or special nature as to require attendance and treatment by a Specialist or Hospital other than himself or the Board's hospital he may refer the patient to any Specialist or Hospital or if the patient is too ill to travel, arrange with the Specialist, or hospital to visit the patient for medical examination. The actual cost of medical attendance and treatment of a patient, including fees and expenses on conveyance of the Specialist shall be borne by the Board. The authorised medical Attendant shall refer the patient to a Specialist or Hospital recognised as "Government Hospital" under the Central Services (Medical Attendance) Rules.

(2) An employee or a member of his family suffering from an illness for which proper facilities for attendance and/or treatment are not available in the Board Hospital/dispensary may on the recommendation of an authorised Medical Attendant seek necessary attendance and treatment in a "Government Hospital" as defined in the Central Services (Medical Attendance) Rules.

(3) An employee while on leave, training or tour suffering from an illness may seek medical attendance and treatment of himself/herself and his/her family in a "Government Hospital" as defined in the Central Services (Medical Attendance) Rules.

(4) An employee who has not been allotted a house in the JNPT Township or who has been allowed to surrender his allotment in the JNPT Township may seek medical attendance and treatment of himself/herself and his/her family in the JNPT Hospital or a "Government Hospital" as defined in the Central Services (Medical Attendance) Rules.

(5) No travelling allowance will be admissible to any employee for travel to the JNPT Hospital or a "Government Hospital" as defined in the Central Services (Medical Attendance) Rules. Travelling Allowance may be paid as on tour (except daily allowance during halt) in case an authorised medical attendance refers a patient to a Specialist or Hospital outside Bombay/New Bombay. Travelling allowance (except daily allowance) will be paid in respect of the patient and if such an escort is considered necessary by head of JNPT Hospital.



(6) The charges incurred for medical attendance and treatment under the provisions of sub-regulations (2), (3), and (4) will be reimbursed by Accounts Officer on the recommendation of the Head of the Board's hospital to the extent that such charges are admissible under the Central Services (Medical Attendance) Rules.

6. Facilities of Medical Attendance and Treatment in Private Hospitals in Emergencies.—(1) Notwithstanding anything contained in these regulations in cases where the Chairman is satisfied that due to emergency requiring immediate medical attention, an employee or a member of his family could not seek medical attendance and treatment from an authorised medical attendant or "Government Hospital" as defined in the Central Services (Medical Attendance) Rules and had to be admitted in a private hospital without prior approval of an authorised Medical Attendant he may sanction the reimbursement of expenditure on such treatment limited to the expenditure that would have been admissible had the treatment been taken in the Board's hospital or a "Government Hospital" as defined in the Central Services (Medical Attendance) Rules.

(2) The bills of reimbursement of charges in cases referred to in sub-regulation (1) above shall be submitted to the Board's hospital and paid by the Accounts Officer for an amount as certified by the Head of the Board's Hospital.

Note.—A list of emergencies is attached at Annexure.

7. Transfer to Foreign Service.—In case of an employee transferred to foreign service he shall be entitled to medical facilities not inferior to those which he would have enjoyed under these regulations.

8. Treatment Abroad in Special Cases.—(1) An employee shall be eligible to obtain medical consultation and treatment outside India and claim reimbursement of the cost of medical attendance and treatment (including cost of travel) obtained outside India for himself or herself or his/her family subject to the condition that the Head of the JNPT Hospital certifies that similar consultation and treatment is not available in India or the employees at that time was on authorised leave for going abroad, tour or training.

(2) If an Authorised Medical Attendance is satisfied that it is essential for an attendant to accompany the patient for treatment abroad, the expenditure incurred on the attendant's travel shall also be eligible for reimbursement.

(3) Where an employee chooses to go abroad on his/her own for treatment of an illness for which medical facility is available in India, reimbursement of medical expenses will not be admissible. The Chairman may in any case in order to avoid hardship to an employee sanction reimbursement of the expenditure that would have been incurred had such treatment been received from an authorised Medical Attendant or a Government Hospital as defined in the Central Services (Medical Attendance) Rules. The expenses on travelling is not admissible in such cases.

9. Grant of Advances.—(1) Where an employee is required to incur substantial expenditure on medical attendance and

treatment of a patient who is referred by an authorised medical attendant to a Specialist or a Hospital other than JNPT Hospital, advance(s) may be granted to the employee to enable him to meet the expenditure, by the Accounts Officer on the recommendation of the Head of the JNPT Hospital. In the case of temporary employees grant of advances will be subject to the production of surety from a permanent employee.

Note.—More than one advance is admissible under this regulation for the same illness.

(2) Amount of each advance shall not exceed 90% of the estimated cost of medical attendance and treatment as certified by an authorised Medical Attendant. If the estimated cost of medical attendance and treatment is less than 50% of the monthly pay, advance shall not be sanctioned. The amount of advance should be adjusted against claim for reimbursement of the medical expenditure as admissible under these regulations and balance if any, recovered from the pay of the employee. If no claim is made within 3 months of the drawal of the advance, the advance shall be recovered from the pay of the employee in lump sum or instalments as the case may be.

10. Procedure for reimbursement of medical expenses.—All claims for reimbursement of medical expenses incurred by an employee on medical attendance and/or treatment for himself/herself and his/her family shall be preferred on the prescribed form through the Head of the Board's Hospital to the Accounts Officer within 3 months. The limit of 3 months can be relaxed by Head of the Board's Hospital only in exception cases.

11. Miscellaneous.—On any matter which is not specifically provided in these regulations, provisions of Central Services (Medical Attendance) Rules will mutatis mutandis apply on that matter.

#### ANNEXURE

##### LIST OF EMERGENCIES

- (1) Congenital anomalies requiring urgent surgical intervention.
- (2) Accident/Traumatic Injuries.
- (3) Haemorrhage/Shock.
- (4) Diphtheria/Tetanus /Gangrene/Typhoid/Gastroenteritis/Encephalitis.
- (5) Cordiac Emergency/Acute Hypertension.
- (6) Acute Abdomen.
- (7) Obsgyn Emergency.
- (8) Genitourinary Emergency.
- (9) Foreign bodies—ENT, EYE/Retinal detachment in the eye.
- (10) Onset of Psychiatric Disorder.
- (\*) Coma.